


बिहार सरकार
(सामान्य प्रशासन विभाग)
॥ अधिसूचना ॥

पटना, दिनांक- 21.7.2020

संख्या-18/लो.शि.वि.0-14-04/2016(संड-1).....6802..... बिहार लोक शिक्षात निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 (बिहार अधिनियम 19, 2015) की धारा 4 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ योजनाओं, कार्यक्रमों एवं सेवाओं, जिनके संबंध में परिवार दायर किया जा सकेगा एवं लोक प्राधिकार तथा विभाज्य जिले के स्तर पर परिवार का निवारण होगा, के संबंध में पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या-7695, दिनांक-30.05.2016 के परिशिष्ट-1 एवं अधिसूचना सं0-8056 दिनांक-18.06.19 के परिशिष्ट-02(क), 02(ख), 02(ग) के तहत निम्नलिखित नए परिशिष्ट तुरंत के प्रभाव से जोड़ती है -

1) यथा सम्बन्ध परिशिष्ट-3(क) के अनुसार नई योजना, कार्यक्रम एवं सेवाएँ जिनके संबंध में परिवार दायर किया जा सकेगा एवं उनके लिए लोक प्राधिकार तथा विभाज्य जिले के स्तर पर परिवार का निवारण होगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


21.7.2020

(कन्हैया लाल साहू)
सरकार के अवर सचिव।

संख्या-18/लो.शि.वि. 14-04/2016(संड-1).....6802...../पटना, दिनांक- 21.7.2020


परिचालिका: -अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, जलजारवाग, पटना को बिहार राज्यपाल के आराधरण अंक में प्रकाशनार्थ और उसकी 1000 मुद्रित प्रतियों इस विभाग को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित ।


21.7.2020

सरकार के अवर सचिव।

संख्या-18/लो.शि.वि.-14-04/2016(संड-1).....6802...../पटना, दिनांक- 21.7.2020

परिचालिका: -सभी विभाग /सभी विभागाध्यक्ष /राज्यपाल सचिवालय/ मुख्यमंत्री सचिवालय/स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली/महानिदेशक, विपार्ट/राज्य अभिलेखागार, पटना/सभी पत्रादेशीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/अपर मिशन निदेशक, विस्तार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, पटना/टी.सी.एस. कोषांग, वित्त विभाग, पटना को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


21.7.2020

सरकार के अवर सचिव।

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत नई योजना, कार्यक्रम एवं सेवाओं की सूची जिनके संबंध में परिवार दायर किया जा सकेगा और उनके लिए लोक प्राधिकार तथा विभाग जिनके स्तर पर परिवार का निवारण होगा


क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना, कार्यक्रम एवं सेवाएँ जिनके संबंध में परिवार दायर किया जा सकेगा	लोक प्राधिकार जिनके स्तर पर परिवार का निवारण होगा
1	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	राशन कार्ड से संबंधित मामला	अनुमंडल पदाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी

20/1
21.7.2020

Government of Bihar
General Administration Department
-: Notification :-

सख्या-18/लो0से030-14-04/2016(खण्ड-1)सा0प्र0/अधिसूचना संख्या-6802/ दिनांक-21.7.2020 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत-संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



21.7.2020
(कन्हैया लाल साह)
सरकार के अवर सचिव।

Patna, Dated- 21.7.2020


No.- 18/Lo.Shi.Ni.-14-04/2016(Part-1).6803./ In exercise of the powers conferred under Section 4 of the Bihar Right to Public Grievance Redressal Act, 2015 (Bihar Act 19, 2015), for the purposes of this Act, the State Government further adds the following new Appendix after the Appendix-1 of notification no. 7695 dated 30.05.2016 and Appednix-2(a),2(b),2(c) of notification no-8056 dated-18-06-2019, related to the Schemes, Programmes and Services on which complaint can be filed and public authority and department on which level the complaint will be redressed, with immediate effect,

- (1) As per enclosed Appendix-3(a), the new Schemes, Programmes and Services on which complaint can be filed and public authority and department on which level the complaint will be redressed.


By the order of the Governor,


21.7.2020
(Kanhaiya Lal Sah)
Under Secretary to Government.

Memo No.-18/Lo.Shi.Ni.-14-04/2016(Part-1).6803./ Patna, Dated- 21.7.2020
Copy:-Forwarded to Superintendent, Government Press, Gulzarbagh, Patna to publish in extra ordinary edition of Bihar Gazette and to send 1000 copies to the department.


21.7.2020
Under Secretary to Government.

Memo No.-18/Lo.Shi.Ni.-14-04/2016(Part-1).6803./ Patna, Dated- 21.7.2020
Copy :- Forwarded to All Department/All Head of Department/Secretariat of the Governor/Secretariat of the Chief Minister/Resident Commissioner, New Delhi/Director General, BIPARD/Rajya Abhilekhagar, Patna/All Divisional Commissioner/All District Magistrate/Additional Mission Director, Bihar Prashashnik Sudhar Mission Society, Patna/T.C.S. Cell, Finance Department, Patna for information and necessary action.


21.7.2020
Under Secretary to Government.

Appendix 3(a)

List of New Schemes, Programme and Services under Bihar Right to Public Grievance Redressal Act on which complaint can be filed and Public Authority and Department on which level the complaint will be redressed

Sl. no	Name of Department	Schemes, Programmes and Services on which complainant can be filed	Public Authority on which level the complaint will be redressed
1	Food & Consumer Protection Department	Matters related with Ration Card	Sub-divisional officer/Block Development officer

20/1
21.7.2020